क्रम-संख्या--589

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०--4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०--41

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 21 सितम्बर, 1983

भाद्रपद 30, 1905 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 2716/सत्रह-वि-1-1(क)-21-1983

लखनऊ, 21 सितम्बर, 1983

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1983 पर दिनांक 20 सितम्बर, 1983 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, सन् 1983 के रुप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अधिनियम, 1983

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, सन् 1983]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, 1951 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अधिनियम, 1983 कहा जायगा।

(2) यह 6 अगस्त, 1983 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 1952 की धारा 53 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, 1951 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 53 में, उपधारा (1) में शब्द "पांच वर्ष" के स्थान पर शब्द "छः वर्ष" रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

3--(1) उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अध्यादेश, 1983 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तद्नुरूप उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
गंगा बक्श सिंह,
सचिव।

No. 2716(2)/XVII-V—1-1-Ka-21-1983

Dated Lucknow, September 21, 1983

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Homoeopathic Medicine (Sanshodhan) Adhiniyam, 1983 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 20 of 1983) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 20, 1983.

THE UTTAR PRADESH HOMOEOPATHIC MEDICINE (AMENDMENT) ACT, 1983

[U.P. Act no. 20 of 1983]

(*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*)

AN

ACT

further to amend the U ar Pradesh Homoeopathic Medicine Act, 1951.

It is hereby enacted in the Thirty-fourth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Homoeopathic Medicine (Amendment) Act, 1983.

(2) It shall be deemed to have come into force on August 6, 1983.

Amendment of section 53 of U.P. Act no. 8 of 1952.

2. In section 53 of the Uttar Pradesh Homoeopathic Medicine Act, 1951, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1), *for* the words "five years" the words "six years" shall be *substituted*.

Repeal and savings.

3. (1) The Uttar Pradesh Homoeopathic Medicine (Amendment) Ordinance, 1983, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
G. B. SINGH,
Sachiv.

पी0एस0यू0पी0--ए0पी0 232 सा0 विधा0—(2282)-1983-700 (मेक0)।